बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः **राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मियों/पेंशनधारियों/परिवार पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति पुनरीक्षित पेंशन की औपबंधिक स्वीकृति के संबंध में।**

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक सं0-38/37/2016-P&PW(A) दिनांकः 04.08.2016 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप वेतन/भत्तों/पेंशन/परिवार पेंशन की सुविधा राज्य कर्मियों को अनुमान्य करने के ध्येय से श्री जी0एस0 कंग, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। राज्य वेतन आयोग द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ प्रेषित नहीं की जा सकी है।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि यथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नरूपेण पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की राशि का पुनरीक्षण औपबंधिक रूप से निम्नवत् किया जायः-

(i) दिनांकः 31.03.2017 तक सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मी के पक्ष में देय पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उन्हें दिनांकः 01.04.2017 को प्राप्तेय पेंशन/परिवार पेंशन की मूल राशि (महंगाई राहत को छोड़कर एवं रूपान्तरित पेंशन की राशि सहित) को 2.57 से गुणा कर किया जायेगा।

(ii) दिनांकः 01.04.2017 को एवं उसके उपरांत सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मी के संदर्भ में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पूर्व में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0-819 दिनांकः 23.09.2009 में प्रचलित सूत्र के अनुरूप उनके पक्ष में पेंशन /परिवार पेंशन स्वीकृत किया जा सकेगा।

(iii) दिनांकः 01.04.2017 को देय महंगाई राहत की दर 4 प्रतिशत रहेगी।

(iv) दिनांकः 01.04.2017 के उपरांत सेवानिवृत/मृत सरकारी सेवक के पक्ष में उपदान की उपरी सीमा 20 (बीस) लाख रू0 निर्धारित की जा सकेगी।

4. पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक/कोषागार उपर्युक्त निदेशों के अनुसार औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन /परिवार पेंशन का भुगतान महंगाई राहत सहित मई, 2017 से आरम्भ करें। इसके अतिरिक्त माह अप्रैल, 2017 का अंतर राशि का भुगतान भी वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर दिया जाय।

......2

5. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी0पी0ओ0 के दोनों आर्द्धांशों में की जायेगी और औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ।

6. विस्तृत एवं औपचारिक आदेश बाद में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत निर्गत किया जायेगा।

7. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/परिषद् कार्यालय के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों/सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(शिव शंकर मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0–(पुन0)22/2017 पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(शिव शंकर मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0–(पुन0)22/2017 पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(शिव शंकर मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0–(पुन0)22/2017 381 पटना, दिनांकः 23-05-17

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/17

(शिव शंकर मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव